न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 14/2020/(2020/00014) जिला–अजमेर

1. रघुनाथ पुत्र लादूराम
2. सोनी देवी पत्नि स्व0 श्री उमराव
3. जीवणराम पुत्र स्व0 श्री उमराव
   समस्त जाति जाट निवासीगण सावंतसर मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ, अजमेर।
2. तहसीलदार किशनगढ
3. रामावतार पुत्र स्व0 रामकरण जाति जाट निवासी मेहनत नगर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. हरीराम पुत्र स्व0 रामकरण जाति जाट निवासी मेहनत नगर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 90 (ए)(9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक नपकि/कृ.भू.नि./2019/321 दिनांक 03.12.2019 जिसके द्वारा ग्राम सावंतसर की खसरा संख्या 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा के बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 का नाम त्रुटियुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने के तथ्यों का संज्ञान होने के उपरांत भी आदेश पारित किया गया जबकि उन्हे संभागीय आयुक्त न्यायालय में अपील संख्या 220/2019 बउनवान रघुनाथ बनाम रामावतार के दिनांक 20.09.2019 से लम्बित होकर इसके लम्बन की सूचना दिनांक 03.12.2019 के पूर्व से ही थी।

————

उपस्थित–
1. श्री एस.पी.ओझा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री एस.के. सेठी अ[illegible] प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री [illegible] अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या–3 लगायत 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः— 12.01.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के अनुज्ञा एवं आवंटन बाबत् प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ के समक्ष दिनांक 25.09.2019 को प्रस्तुत कर ग्राम सांवतसर, मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 560 रकबा 04—17—00 (9389.60 वर्गगज) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ 90(ए) की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ द्वारा आदेश क्रमांक नपकि/कृ.भू.नि./2019/321 दिनांक 03.12.2019 से आवेदक प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री रामावतार व प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री हरिराम पुत्रगण श्री रामकरण जाट निवासीगण मेहनत नगर, जयपुर रोड़, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर के पक्ष में आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान कर तहसीलदार किशनगढ को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरकरण करने के निर्देश दिये गये। प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की और से लिखित जवाब/बहस प्रस्तुत की गई। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि ग्राम सावंतसर की खसरा संख्या 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा मूलतः मोडू पुत्र बालू के अधिकार, मिल्कीयत की थी। मोडू पुत्र बालू के कोई विधिक वारिसान नहीं होने से उनके देहावसान उपरांत इस भूमि पर उसकी पत्नि तीजी बेवा मोडू के नाम विरासत में दर्ज की गई। मोडू एवं तीजी के कोई दत्तक पुत्र नहीं था इसके उपरांत भी प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा हिन्दु दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपील अन्तर्गत भूमि सहित अन्य भूमि का गलत रूप से एकपक्षीय व निरंकुश रूप से दिनांक 22.08.2019 को धारा 135(2) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के प्रकरण संख्या 6/2015 में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 सहित रामकरण पुत्र लादूराम के अन्य विधिक वारिसान कमला, संतोष, सम्पत, सुमित्रा, मनोहर, संजू, मंजू के नाम आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अनुसरण में तत्काल प्रत्यर्थी [illegible] द्वारा इस अपीलाधीन भूमि सहित ग्राम सांवतसर की अन्य [illegible] नामान्तरकरण संख्या 2272 दिनांक 27.08.2019 को दर्ज किया [illegible] एवं तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पक्ष में उनकी माता कमला देवी [illegible] बहिनों द्वारा हकत्याग अभिलेख निष्पादित किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 2273 दिनांक 02.02.2019 को दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:30 IST
Reason: SelfAttested

उन्होनें यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण ने तहसीलदार किशनगढ द्वारा अविधिक रूप से पारित आदेश दिनांक 22.08.2019 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपील संख्या 220/2019 रघुनाथ बनाम रामावतार उनवान से संस्थित की गई। यह अपील दिनांक 20.09.2019 को पंजीबद्ध होने के पश्चात् न्यायिक प्रकिया के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 लगायत 4 को सुनवाई की सूचना होने पर न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 09.12.2019 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के बाबत् आदेश पारित किये गये।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष 3 व 4 ने जानबूझकर गलत विवरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में विवादग्रस्त भूमि के वादग्रस्त रहते हुए भी इस भूमि को निर्विवादित होने के क्रम में तुरत–फुरत में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर खुर्द बुर्द करने की मंशा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसका संज्ञान होने पर अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को न्यायालय में विवादित विधिक कार्यवाही के बाबत् अवगत कराते हुए सूचित किया गया, इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 से मिलीभगत कर अपील संख्या 220/2019 में विवाद की स्थिति के रहते हुए अपील अन्तर्गत भूमि को निर्विवादित बताते हुए अपनी अनापत्ति जाहिर की, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा समय–समय पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 80 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 304 के अधीन नोटिस भी प्रेषित किया गया था। समस्त कार्यवाही के लंबित रहते हुए एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ ने इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर विवादित भूमि के तथ्यों का संज्ञान रहते हुए भी अपील में वर्णित धारा 90क के अधीन दिनांक 03.12.2019 को आदेश पारित कर इसकी प्रति प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार किशनगढ के समक्ष दिनांक 04.12.2019 को ही प्रतिप्रेषित की गई एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भी तुरत–फूरत में ही आदेश दिनांक 03.12.2019 की अनुपालना राजस्व रिकॉर्ड में कर दी गई।

उनका यह भी कथन है कि ग्राम सावंतसर की खसरा संख्या 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा सहित, अन्य संबधित खसरा संख्या 557, 558 में भी प्रत्यर्थी संख्या 3 लगायत 4 द्वारा रामकरण पुत्र लादू के विधिक वारिसान का गलत रूप से नामान्तरकरण दर्ज कराया गया है। रामकरण मूल रूप से लादू का जाईन्दा पुत्र था एवं अपील अन्तर्गत भूमि तीजी पत्नि मोडू के अधिकार मिल्कीयत की थी। ऐसी स्थिति में जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष ऐसा कोई पंजीयत प्रलेख नहीं था जिसमें तीजी या उसके पति मोडू ने प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पूर्वाधिकारी रामकरण को बतौर दत्तक ग्रहण किया हो। प्रत्यर्थी संख्या 2 तहसीलदार किशनगढ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धांतों एवं आवश्यक नियमों को नजरअंदाज कर एकपक्षीय रूप से प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को बहनों एवं माता के नाम अविधिक रूप से नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। यह पहलू माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई विधिक दृष्टांतो से सुस्थापित है कि ''Mutation is only fiscal proceeding which cannot having overriding effect on succession'' इन तथ्यों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

संज्ञान रहते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने आलौचित अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने में विधि एवं तथ्यों की महत्वपूर्ण त्रुटि कारित की है अतः यह आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों, अधिसूचनाओं के अधीन यह स्पष्ट है कि किसी भी भूमि के बाबत् धारा 90(ए) के अधीन आदेश पारित किये जाने के साथ–साथ यह दृष्टिगत किया जाना भी आवश्यक रहता है कि क्या इस भूमि का विधिनुसार प्रयोग किया जाना संभव है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में खसरा संख्या 560 का मुख्य सड़क से संपर्क का 40 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुस्थापित विधिक दृष्टांत अब्दुल रहमान के अधीन नदी–नाले की सम्पत्ति से किसी प्रकार का परिवर्तन विधिनुसार अनुज्ञात नहीं है। दिनांक 03.12.2019 को अपील अन्तर्गत चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व ही अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 सहित अन्य संबधित अधिकारियों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 सहित राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के अधीन विवादग्रस्त वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में विधिक नोटिस भी सम्प्रेषित किया गया था एवं उक्त नोटिस की जानकारी होने के उपरांत भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2019 पारित कर इस आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर सारवान विधिक त्रुटि कारित की है।

उन्होनें यह भी तर्क दिया कि विवाद की विषयवस्तु रहते हुए वार्षिकी रजिस्टर (Annual Regsiter) में नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में इसकी पालना नही हुई है जबकि अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व ही अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के समक्ष न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील संख्या 220/2019 के लम्बित होने बाबत् प्रतिवेदन मय रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया था। आदेश दिनांक 03.12.2019 के पश्चात् अपील प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तक उपरोक्त भूमि के पट्टे आदि जारी नहीं किये गये एवं न ही मौके पर रास्ते, प्लॉटों के मुकाम, सीमा चिन्ह आदि कायम हुए है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थीगण का ही भौतिक रूप से कब्जा चला आ रहा हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपील अन्तर्गत चुनौतीग्रस्त ग्राम सांवतसर के खसरा संख्या 560 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा के बाबत् अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये पारित एकपक्षीय एवं निरंकुश आदेश क्रमांक नपकि/कृ.भू.नि./2019/321 दिनांक 03.12.2019 एवं इससे सम्बन्धित समस्त आदेश निरस्त किये जावें।

अपीलार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये यथा :–

(1) RRD 1986 Page 88, Appeal No. 6[illegible] of 85, Decided on 3rd Dec. 1985 Sahiram Versus State of Rajasthan (33)

(2) RRD 1986 Page 746, Revision No. [illegible] Cal. [illegible] of 85, Decided on 20th Sep., 1985 Smt. Semti Devi Versus Ram Chandra (219)

(3) SAR 2004 (Civil) 1 Supreme Court Page [illegible] Civil Appeal No. 8216 of 2003 Decided on 9th Oct. 2003 Ram Chandra Singh Versus Savitri Devi and Ors.

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक [illegible] उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक ने उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित

समस्त तथ्यों को दोहराते हुए सारगर्भित रूप से कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पूर्वज दादी मु0 तीजी बेवा मोडू जाति जाट की ग्राम सावतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 557 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह में तीजी बेवा मोडू आधे हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की दादी तीजी का स्वर्गवास दिनांक 20–12–1986 को हो गया तत्पश्चात उसके पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20–2–1995 को हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की दादी तीजी बेवा मोडू के कोई जायन्दा सन्तान नहीं थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पूर्वज दादा मोडू पुत्र बालू एवं दादी तीजी बेवा मोडू ने अपने जीवनकाल में ही प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पिताजी रामकरण पुत्र लादू को सामाजिक रीतिरिवाज से गोद ले लिया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पूर्वज दादा, दादी के मरणोपरान्त सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्य प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामकरण ने सम्पन्न किये थे। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की पूर्वज दादी तीजी बेवा मोडू की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि पर उनके जीवनकाल में एवं स्वर्गवास पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामकरण दत्तक पुत्र मोडू काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पिता रामकरण के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें अन्य किसी भी दिगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा या दखल नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की पूर्वज दादी तीजी बेवा मोडू के नाम की वादग्रस्त आराजी खातेदारी की आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के पिता स्व0 रामकरण दत्तक पुत्र मोडू के वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में खुलवाने हेतु तहसीलदार, किशनगढ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार, किशनगढ ने विधिक वारिसानों की विधिवत जांच कर एवं इनके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन कर तथा विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवाकर ही नामान्तरकरण विधिक वारिसानों के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से विशिष्ट खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20.02.1995 को हो चुका है। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा उक्त धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रकरण संख्या 06/2015 के अन्तर्गत दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 22.08.2019 को विधि सम्मत् निर्णय पारित किया है। इसके पश्चात् उक्त निर्णय दिनांक 22.08.2019 की पालना में नामान्तरण संख्या 2272 दिनांक 27.08.2019 को नियमानुसार तस्दीक किया गया है। इस पश्चात् पंजिकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 के आधार पर नामान्तरण संख्या 2273 दिनांक 02.09.2019 को नियमानुसार पारित किया गया है। पंजिकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित किया जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 560 क्षेत्रफल 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि को नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

परिषद किशनगढ़ से कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा लिया है। इस संबंध में नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा रूपान्तरण आदेश दिनांक 03.12.2019 को पारित किया गया है। इसके पश्चात् रूपान्तरण आदेश दिनांक 03.12.2019 के आधार पर नामान्तरण संख्या 2279 दिनांक 05.12.2019 को कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के रूप में तस्दीक किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रारम्भ से आज दिन तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर अपीलार्थीगण की अपील प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के विरूद्व विशिष्ट खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नही रहा है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड खातेदार भी नही है। वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थीगण के किसी भी प्रकार के हित निहित नही है। जबकि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रारम्भ से आज तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। प्रत्यर्थी के वादग्रस्त भूमि में हित निहित नही है इस आधार पर अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के संपरिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने तथा यह अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेन्डाई नही है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन कार्यवाही करते हुए तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 03.12.2019 को विधि सम्मत् आदेश पारित किया है जिसमें इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन की सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के राजस्व रिकोर्ड में स्पष्ट रूप से रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होने के आधार पर नियमानुसार संपरिवर्तन की कार्यवाही की गयी है। विधि का यह सिद्वान्त है कि रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार के पक्ष में ही कृषि भूमि का अकृषि भूमि के रूप में आवासीय एवं वार्णिज्यक प्रयोजनार्थ संपिरविर्तन किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा संपरिवर्तन प्रक्रिया के दौरान प्रत्यर्थी सं0 2 से (तहसीलदार किशनगढ़ से) वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी थी। इसी के तहत प्रत्यर्थी सं0 2 ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके पर स्वयं [illegible] स्थिति में तथा हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर द्वारा मौके तथा राजस्व [illegible] की जांच कर नियमानुसार रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं0 1 को भिजवायी गयी थी उस [illegible] अन्तर्गत भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। इसके अलाव[illegible]ौका रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 का भौतिक रूप से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। उक्त मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि का स्वयं के पक्ष में संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पहले ही मौके पर वादग्रस्त भूमि को समतल करवाकर रास्ते करवाकर, प्लॉटों के मुटाम बनाकर तथा सीमा चिन्ह आदि लगवाकर मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी है। इस आधार पर प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की संपरिवर्तन की कार्यवाही की गयी है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए वादग्रस्त भूमि के संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में की गयी है।

प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाबी बहस में यह भी निवेदन किया गया कि संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान ही प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रक्रिया के तहत नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में आपत्ति आमान्त्रण सूचना प्रकाशित करवायी गयी थी। इसके पश्चात् निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रकट नही किये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन प्रकिया की पालना करते हुए प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपत्ति आमन्त्रण सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी सं0 1 के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति आदि दर्ज नही करवायी थी। इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कभी भी कोई लेना देना नही रहा है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार भी नही है उक्त वर्णित समस्त आधारों पर अपीलार्थीगण को विधिनुसार इस अपील के माध्यम से प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.12.2019 को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने की विधिनुसार कोई लोकस स्टैण्डाई नही है।

उनका यह भी तर्क है कि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की बहिनों व माता ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित किया था। उक्त हकत्याग पत्र का पंजियन उपपंजियक कार्यालय किशनगढ़ द्वारा किया गया है। उक्त पंजिकृत हकत्याग पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण संख्या 2273 दिनांक 02.09.2019 प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की माता व बहिनों के स्थान पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में नियमानुसार तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का अन्तरण प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की माता व बहिनों द्वारा उक्त पंजिकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.[illegible] द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में किया जा चुका है। उक्त वर्णित सम[illegible] तथ[illegible] की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही है। इस प्र[illegible] हकत्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 [illegible] किया जा चुका है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त पंजिकृत हकत्याग पत्र को सक्ष[illegible] सिविल कोर्ट के समक्ष आज दिन तक चुनौती नही दी गयी है। पंजिकृत हकत्याग पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:39 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा निरस्त करवाये बिना माननीय न्यायालय को पंजिकृत हक त्याग पत्र के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। विधिनुसार किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित समस्त तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय को उक्त मूल अपील प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के अनुज्ञा एवं आवंटन के लिए प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ के समक्ष दिनांक 25.09.2019 को प्रस्तुत कर ग्राम सांवतसर, मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 560 रकबा 04–17–00 (9389.60 वर्गगज) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ 90(ए) की कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ द्वारा उनके आदेश क्रमांक नपकि/कृ.भू.नि./2019/321 दिनांक 03.12.2019 के द्वारा आवेदक प्रत्यर्थी संख्या 3 श्री रामावतार व प्रत्यर्थी संख्या 4 श्री हरिराम पुत्रगण श्री रामकरण जाट निवासीगण मेहनत नगर, जयपुर रोड़, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर के पक्ष में आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान कर तहसीलदार किशनगढ को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरकरण करने के निर्देश दिये गये। प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि व मौके पर कब्जा काश्त एवं इनके उपयोग व उपभोग में होने से प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन की सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के राजस्व रिकोर्ड में स्पष्ट रूप से रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होने के आधार पर नियमानुसार संपरिवर्तन की कार्यवाही की गयी है। विधि का यह सिद्वान्त है कि रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार के पक्ष में ही कृषि भूमि का अकृषि भूमि के रूप में आवासीय एवं वार्णिज्यक प्रयोजनार्थ संपिरविर्तन किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा संपरिवर्तन प्रक्रिया के दौरान प्रत्यर्थी सं0 2 से (तहसीलदार किशनगढ) वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति हेतु नियमानुसार [illegible] रिपोर्ट मंगवायी गयी थी। इसी के तहत प्रत्यर्थी सं0 2 ने वादग्रस्त भूमि के मौके पर स्वयं की उपस्थिति में तथा हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर द्वारा मौके तथा राजस्व रिकोर्ड की जांच कर नियमानुसार रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं0 1 को भिजवायी गयी थी उस रिपोर्ट के अन्तर्गत भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के राजस्व रिकोर्ड में रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 का भौतिक रूप से कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। उक्त मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि का स्वयं के पक्ष में संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पहले ही मौके पर वादग्रस्त भूमि को समतल करवाके रास्ते करवाकर, प्लॉटों के मुटाम बनाकर तथा सीमा चिन्ह आदि लगवाकर मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी है। इस आधार पर प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की संपरिवर्तन की कार्यवाही की गयी है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए वादग्रस्त भूमि के संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में की गयी है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान ही प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रक्रिया के तहत नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में आपत्ति आमान्त्रण सूचना प्रकाशित करवायी गयी थी। इसके पश्चात् निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रकट नही किये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन प्रकिया की पालना करते हुए प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपत्ति आमन्त्रण सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी सं0 1 के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति आदि दर्ज नही करवायी थी। इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कभी भी कोई लेना देना नही रहा है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार भी नही है उक्त वर्णित समस्त आधारों पर अपीलार्थीगण को विधिनुसार इस अपील के माध्यम से प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.12.2019 को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने की विधिनुसार कोई लोकस स्टैण्डाई नही है।

अंत में उनके द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन कार्यवाही करते हुए तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 03.12.2019 को विधि सम्मत् आदेश पारित किया है। जिसमें इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से विशिष्ट खर्चे सहित खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेखों का अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के पूर्वज दादी मु0 तीजी बेवा मोडू जाति जाट की ग्राम सरसिसर तहसील किशनगढ़ में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 557 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 558

रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण एवं आराजी खसरा नम्बर 561 रकबा 7 बिस्वा गै0मु0चाह में तीजी बेवा मोडू आधे हिस्से के खातेदार दर्ज हैं। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 की दादी तीजी का स्वर्गवास दिनांक 20–12–1986 को हो गया तत्पश्चात उसके पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20–2–1995 को हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों में भी रामकरण को मोडू का पुत्र दर्शाया गया है तथा बयनामा दिनांक 2–2–1983 में बतौर साक्षी रामकरण पुत्र मोडू अंकित है। उक्त बयनामा अपीलार्थी संख्या 1 आपत्तिकर्ता रघुनाथ पुत्र श्री लादू जाट के पक्ष में निष्पादित किया गया था। अर्थात रघुनाथ द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री में रामकरण पुत्र श्री मोडू ने बतौर गवाह हस्ताक्षर अंगूठा निशानी किये थे जिससे भी स्पष्ट है कि रामकरण मोडू का पुत्र था और जिसको अपीलार्थीगण ने भी स्वीकार किया है। उक्त सभी दस्तावेज से पूर्णतया स्पष्ट है कि स्व0 तीजी बेवा मोडू व मोडू पुत्र बालू का रामकरण एक मात्र उत्तराधिकारी है। पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट दिनांक 23–7–2015 जो मौके पर जाकर पड़ौसियों व ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके पर ही तैयार की गई है, से भी स्पष्ट है कि मोडू व तीजी के एक मात्र वारिस रामकरण ही है। विवादग्रस्त आराजियात पर रामकरण की मृत्यु के पश्चात रामकरण के वारिसों रामावतार व हरिराम वगैराह का ही कब्जा काश्त होना पाया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा रामकरण को लादू का जायन्दा पुत्र मानते हुए भी ग्राम बरना, सांवतसर में स्थित लादू की खातेदारी की आराजियात में विरासत का नामान्तरकरण खुलवाते समय रामकरण का नाम दर्ज नहीं करवाया गया है। इससे भी यह जाहिर होता है कि रामकरण मोडू व तीजी के गोद गया हुआ था। इस बात की पुष्टि स्वयं अपीलार्थीगण द्वारा लादू की विरासत से रामकरण का नाम हटाये जाने से भी स्वतः ही हो जाती है। पत्रावली में उपलब्ध दैनिक अखबार की विज्ञप्ति दिनांक 9–8–2019 को स्याह करवाने पर सात दिवस में आपत्ति चाही गई किन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती कमला पत्नी रामकरण द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी संख्या 1074/2018 बउनवान कमला व अन्य बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार अजमेर को स्व0 तीजी बेवा मोडू व स्व0 रामकरण पुत्र मोडू के विधिक वारिसानों की जांच कर एक माह में नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पादित करने के आदेश दिनांक 16–2–2018 को दिये गये है।

प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पिता रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 20.02.1995 को हो चुका है। तहसीलदार [illegible] द्वारा [illegible] धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रकरण संख्या 06/2015 [illegible] अन्य [illegible] दोनो पक्षों को सुनकर दिनांक 22.08.2019 को विधि सम्मत निर्णय पारित [illegible] गया है। उक्त निर्णय दिनांक 22.08.2019 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2272 दिनांक 27.08.2019 को नियमानुसार तस्दीक किया गया है। इसके [illegible]चात् पंजिकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 के आधार पर नामान्तण संख्या 2273 दिनांक 02.09.2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:50 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार पारित किया गया है। पंजिकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित किये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 560 क्षेत्रफल 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि को नगर परिषद किशनगढ़ से कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा लिया है। इस संबंध में नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा रूपान्तरण आदेश दिनांक 03.12.2019 को पारित किया गया है। इसके पश्चात् रूपान्तरण आदेश दिनांक 03.12.2019 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2279 दिनांक 05.12.2019 को कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के रूप में तस्दीक किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित हो चुकी है। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 का सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रारम्भ से आज दिन तक निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नही है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नही रहा है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकोर्डेड खातेदार भी नही है। वादग्रस्त भूमि में अपीलार्थीगण के किसी भी प्रकार के हित निहित नही है। इस आधार पर अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि के संपरिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने तथा यह अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेन्डाई नही है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन कार्यवाही करते हुए तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 03.12.2019 को विधिसम्मत् आदेश पारित किया है। जिसमें इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा संपरिवर्तन प्रक्रिया के दौरान प्रत्यर्थी सं0 2 से (तहसीलदार किशनगढ़ से) वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की भौतिक स्थिति हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी थी। इसी के तहत प्रत्यर्थी सं0 2 ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके पर स्वयं की उपस्थिति में तथा हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर द्वारा मौके तथा राजस्व रिकोर्ड की जांच कर नियमानुसार रिपोर्ट प्रत्यर्थी सं0 1 को भिजवायी गयी थी उस रिपोर्ट के अन्तर्गत भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया है कि प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि पर मौके पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 का भौतिक रूप से कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग निरन्तर व लगातार चला आ रहा है। उक्त मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि का [illegible] के पक्ष में संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से पहले ही मौके पर [illegible] भूमि को समतल करवाके रास्ते करवाकर, प्लॉटों के मुटाव [illegible] आदि लगवाकर मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर दी है। इसी आधार पर प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि की संपरिवर्तन [illegible] कार्यवाही की गयी है। प्रत्यर्थी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

1 द्वारा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुए वादग्रस्त भूमि के संपरिवर्तन की कार्यवाही प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में की गयी है।

संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान ही प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रक्रिया के तहत नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में आपत्ति आमान्त्रण सूचना प्रकाशित करवायी गयी है। इसके पश्चात् निर्धारित समयावधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्रकट नही किये जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन प्रकिया की पालना करते हुए प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में नियमानुसार वादग्रस्त भूमि का संपरिवर्तन किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपत्ति आमन्त्रण सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी सं0 1 के समक्ष किसी भी प्रकार की आपत्ति आदि दर्ज नही करवायी थी। अपीलार्थीगण को विधिनुसार इस अपील के माध्यम से प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 03.12.2019 को चुनौती दिये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने की विधिनुसार कोई लोकस स्टैण्डाई भी नही है।

प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की बहिनों व माता ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में निष्पादित किया है। उक्त हकत्याग पत्र का पंजियन उपपंजियक कार्यालय किशनगढ़ द्वारा किया गया है। उक्त पंजिकृत हकत्याग पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी का नामान्तरण संख्या 2273 दिनांक 02.09.2019 प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की माता व बहिनों के स्थान पर प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में नियमानुसार तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा तस्दीक किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का अन्तरण प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 की माता व बहिनों द्वारा उक्त पंजिकृत हकत्याग पत्र दिनांक 29.08.2019 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 3 व 4 के पक्ष में किया जा चुका है। अपीलार्थीगण द्वारा इस पंजिकृत हकत्याग पत्र को सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष आज दिन तक चुनौती नही दी गयी है। इस पंजिकृत हकत्याग पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त करवाये बिना पंजिकृत हक त्याग पत्र के संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार किसी राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। विधिनुसार किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। तथ्यपरक भिन्नता के कारण यह न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में यथावत चस्पा नहीं होते हैं।

यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अन्य अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, किशनगढ दिनांक 22–08–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2015 बउनवान रामावतार बनाम रघुनाथ [illegible] 220/2019 प्रस्तुत की गई थी जिसका गुणावगुण पर निस्तारण [illegible] अपीलार्थीगण की अपील को सारहीन एवं तथ्यहीन होने से [illegible] तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ़ द्वारा पारित [illegible] निर्णय दिनांक 22–8–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 06/2015 बउनवान [illegible]मअवतार बनाम रघुनाथ विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से यथावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

रखते हुए दिनांक 12.01.2021 को निस्तारण किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रस्तुत अपील संख्या 14/2020 बउनवान रघुनाथ व अन्य बनाम प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद किशनगढ व अन्य अब स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतएव उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात, पटवारी हलका सांवतसर द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट मय मौका पर्चा, गवाहों/पक्षकारान के साक्ष्य, शपथ पत्रों, बयानों के आधार पर तीजी बेवा मोडू का एक मात्र वारिस स्व0 रामकरण ही है। तहसीलदार (भू.अ.) किशनगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 22–8–2019 में ग्राम सांवतसर तहसील किशनगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 557 रकबा 10–00–00 बीघा, खसरा नम्बर 558 रकबा 03–13–00, बीघा, खसरा नम्बर 560 रकबा 04–17–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 18–10–00 बीघा भूमि में स्व0 तीजी बेवा मोडू का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 561 रकबा 00–07–00 बीघा भूमि में स्व0 तीजी बेवा मोडू का 1/2 हिस्से पर कमला पत्नी स्व0 रामकरण, रामअवतार, हरिराम पुत्रगण स्व0 रामकरण तथा संतोष, सम्पत, सुमित्रा, मनोहर, सन्जू, मन्जू पुत्रियां स्व0 रामकरण के नाम दर्ज करने के जो आदेश पारित किये गये है वह विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से न्यायालय हाजा द्वारा यथावत रखे जाने के फलस्वरूप तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के आवेदन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ द्वारा ग्राम सांवतसर, मदनगंज तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 560 रकबा 04–17–00 (9389.60 वर्गगज) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ 90(ए) की कार्यवाही सम्पादित कर प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 4 के पक्ष में पारित आदेश द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करते हुए तहसीलदार किशनगढ को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरकरण करने के जो निर्देश दिये गये है वह विधिसम्मत है। अतः ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद किशनगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित है तथा अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तथा अपीलार्थीगण की अपील न्यायालय हाजा द्वारा मूल अपील संख्या 220/2019 बउनवान रघुनाथ व अन्य बनाम रामावतार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 के कारण सारहीन एवं तथ्यहीन हो जाने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी [illegible] नगर परिषद किशनगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक [illegible]/2019/321 दिनांक 03.12.2019 विधिसम्मत एवं संवैधानिक तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:42:30 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर